समाहरणालय, दरभंगा
(जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय)

वित्तीय वर्ष 2014–15 में केन्द्र प्रायोजित अल्पसंख्यक प्री मैट्रिक छात्रवृति एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति के संबंध में आवश्यक सूचना

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पोषित अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृति एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना लागू है, जिसके अन्तर्गत कक्षा 1 से 10 तक के 1.00 (एक) लाख रूपये तक वार्षिक आय वाले तथा विगत परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त हो ऐसे अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं को प्री मैट्रिक छात्रवृति की स्वीकुति दी जाती है एवं कक्षा 10 के उपरांत 2.00 (दो) लाख रूपये तक वार्षिक आय वाले तथा विगत परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त हो ऐसे अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति की स्वीकृति दी जाती है ।

समाचार पत्र में सूचना प्रकाशन के उपरान्त **प्री मैट्रिक छात्रवृति** योजनान्तर्गत संबंधित छात्र/छात्रा जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में गठित छात्रवृति कोषांग से आवेदन की प्रति प्राप्त कर आवेदन भर उसे संबंधित विद्यालय के प्राचार्य से सत्यापित कराकर आवश्यक कागजातों की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न कर जिला स्तर पर समर्पित करेंगे।

समाचार पत्र में सूचना प्रकाशन के उपरांत **पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति** योजनान्तर्गत आवेदन पत्र अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के पोर्टल e-scholarship तथा www.momascholarship.gov.in के माध्यम से भरे जाएंगे । संबंधित छात्र/छात्रा ऑन लाईन आवेदन पत्र का प्रिन्ट आउट निकाल कर हार्ड कॉपी को अपने शिक्षण संस्थान (मान्यता प्राप्त) के छात्रवृति प्रभारी/प्राचार्य से सत्यापित कराकर आवश्यक कागजात की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न कर जिला स्तर पर समर्पित करेंगे । **बिहार राज्य के अन्दर जो विद्यार्थी जिस जिला में अध्ययनरत हैं, उसी जिले के जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन समर्पित करेंगे एवं जो छात्र/छात्राऐं दूसरे राज्य में अध्ययनरत हैं, वो अपने आवेदन को उसी जिले के जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में समर्पित करेंगे जो उनका गृह जिला है ।**

जिला स्तर पर हार्ड कॉपी प्राप्ति, उसकी संवीक्षा तथा उसके ऑन लाईन अग्रसारण के लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में छात्रवृति कोषांग गठित है, जहॉ आवेदक/आवेदिका अपना आवेदन पत्र समर्पित कर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर लेंगे ।

जिला पदाधिकारी,
दरभंगा।